न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/84/2025	2025/183	03.06.2025	16.03.2026

1. दीन मौहम्मद पुत्र श्री भूरे खां जाति गेव निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर

2. मकसूदीन पुत्र शेर मौहम्मद जाति गेव निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर

3. आबिद पुत्र शेर मौहम्मद जाति गेव निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर राज०

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर।

—असल रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार रामगढ आदेश दिनांक 15.04.2025 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री मनमोहन शर्मा —वकील अपी0
01—श्री दीपक मीना (पैरोकार सरकार) —राजकीय अधिवक्ता

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 15.04.2025 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ़ के विरूद्ध स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.04.2025 अपीलाण्ट के बाला—बाला बगैर हमें सुनवाई का अवसर दिए तथा बिना मौके की जांच करवाए पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर दिया है। अपीलाण्ट दीन मोहम्मद पुत्र भूरे खां की व्यक्तिगत कोई तामील नही कराई गई। ना ही अपीलाण्ट के पुत्र ने कोई तागील प्राप्त की और वैसे भी कानूनन धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही होने पर अप्रार्थी की तागील व्यक्तिगत रूप से कराया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपीलाण्ट की तामील होना गलत माना है। जाप्ता दीवानी के प्रावधानो के अनुसार भी इस तरह की तागील सही नही मानी गई है। अपीलाण्ट संख्या 2 मकसूदीन व अपीलाण्ट संख्या 3 आबिद की भी प्रोपर तागील नही हुई है। अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 की तागील मानने में अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनन गलती की है। दोनो अपीलाण्ट यानि अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 की तामील भी जाप्ता दीवानी के कानूनो के मुताबिक तामील माने जाने योग्य नही है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 की तागील मानने में घोर लापरवाही की है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को तीनो ही अपीलाण्ट की तामील पुनः नियमानुसार करवाए जाने के आदेश देने चाहिए थे।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध जब अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है, तब प्रत्येक व्यक्ति को नियमानुसार अलग-अलग नोटिस जारी करने चाहिए और जाब्ता दीवानी के प्रावधानो के अनुसार प्रत्येक अतिक्रमी की व्यक्तिगत रूप में तामील करवाया जाना आवश्यक है जबकि इस प्रकरण में अपीलाण्ट सं0 2 व 3 को सामुहिक रूप से एक ही नोटिस जारी किया गया जो कानूनन गलत है। धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रत्येक अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अलग-अलग पत्रावली बनाई जाकर कार्यवाही करनी चाहिए और प्रत्येक अतिक्रमी के बारे में अलग से निर्णय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया गया रकबा अलग-अलग तरीके से नोटिस में दर्शाना चाहिए जबकि इस प्रकरण में इस नियम का पूर्णतः उल्लंघन किया गया है। इस बिना पर भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है जिसे अपास्त फरमाया जावे।

प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की काश्तकारी की आराजी खसरा नंबर 1047 रकबा 10 ऐयर एवं खसरा नंबर 1337 रकबा 0.38 ऐयर वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ में स्थित है। जिस खातेदारी की आराजी के पास खसरा नंबर 1349 व 1348 स्थित है परन्तु अपीलाण्ट का कब्जा अपनी खातेदारी की आराजी पर ही है, गैरमुमकिन रास्ते पर हमारा कोई कब्जा नही है। साबिक जमाबंदी वाके ग्राम अलावडा जो कि हाल बंदोबस्त 2058 से पूर्व का राजस्व रिकॉर्ड है, में भी विवादित जगह अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी है जिसे बंदोबस्त विभाग द्वारा चैन्ज किया गया है। जिस गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कराए जाने हेतु अपीलाण्ट ने नियमित राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के यहां पेश किया हुआ है। अपीलाण्ट गरीब काश्तकार व्यक्ति है जिनके पास ग्राम अलावडा में केवल 93 ऐयर जमीन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित गलत निर्णय दिनांक 15.04.2025 की आड में राजस्व कर्मचारी हम अपीलाण्ट को गैरकानूनी रूप से प्रशासनिक बल के आधार पर कुछ लोगो के बहकावे में आकर जबरन बेदखल करना चाहते है जिससे हम अपीलाण्ट को भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति होना किसी भी रूप में संभव नही होगा।

अतः निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.04.2025 के विरुद्ध पेश की गई अपील स्वीकार फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.04.2025 निरस्त फरमाई जावे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया जावे।

राजकीय अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को नकारते हुए कथन किया गया कि वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ़ के गै.मू. रास्ता भूमि के आराजी खसरा नं. 1348 रकबा 0.02 है०, 1349 रकबा 0.22 है० में से क्रमशः 0.02 है०, 0.09 है० पर लकडी, उपला, बिटौरा डालकर दीनमोहम्मद पुत्र भूरे खां, मकसूदीन, आबिद पिसरान शेरमोहम्मद जाति मेव निवासी अलावडा तहसील रामगढ द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया जिसको पटवारी हल्का अलावडा द्वारा दिनांक 02.04.2025 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू० अभि० निरीक्षक वृत मिलकपुर के द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 09. 04.2025 नियत की गई। अपीलाण्ट को नोटिस तामील के बावजूद नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट स्वयं उपस्थित नहीं हुआ एवं ना ही अपीलाण्ट की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुआ। अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया है जिससे अतिक्रमी साबित नहीं होता हो। उक्त सभी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने विधिवत सुनवाई की जाकर अतिक्रमी को नियमानुसार बेदखल करने के आदेश किये गये है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की काश्तकारी की आराजी खसरा नंबर 1047 रकबा 10 ऐयर एवं खसरा नंबर 1337 रकबा 0.38 ऐयर वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ में स्थित है। जिसा खातेदारी की आराजी के पारा खसरा नंबर 1349 व 1348 स्थित है परन्तु अपीलाण्ट का कब्जा अपनी खातेदारी की आराजी पर ही है, गैरमुमकिन रास्ते पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नही है। साविक जगाबंदी वाके ग्राम अलावडा जो कि हाल बंदोबस्त 2058 से पूर्व का राजस्व रिकॉर्ड है, में भी विवादित जगह अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी है जिसे बंदोबस्त विभाग द्वारा चैन्ज किया गया है। जिसा गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कराए जाने हेतु अपीलाण्ट ने नियमित राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के यहां पेश किया हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पटवारी हल्का अलावडा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम अलावडा तहसील रामगढ़ के गै. मू. रास्ता भूमि के आराजी खसरा नं. 1348 रकबा 0.02 है०, 1349 रकबा 0.22 है० में से क्रमशः 0.02 है०, 0.09 है० पर लकडी, उपला, बिटौरा डालकर दीनमोहम्मद पुत्र भूरे खां, मकसूदीन, आबिद पिसरान शेरमोहम्मद जाति मेव निवासी अलावडा तहसील रामगढ द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त पटवारी रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 09.04.2025 नियत की गई। अपीलाण्ट की तरफ से ना ही स्वयं एवं ना ही कोई अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुआ। अतः प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलाण्ट को अतिक्रमी करार दिया जाकर अतिक्रमित रकबे से बेदखल किए जाने एवं अर्थ–दण्ड स्वरूप 93.5 रूपये शास्ति के आदेश पारित किये गये। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांट ने अपील में कोई ऐसा साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध होता हो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि–विरूद्ध निर्णय पारित किया गया हो। हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं किया जाने पर पारित निर्णय दिनांक 15.04.2025 को यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने पर खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.04.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज०)